भारत सरकार
विदेश मंत्रालय

उत्प्रवास विधेयक, 2019 के मुख्य पहलू

1) विधान का संक्षिप्त औचित्य

भारतीय नागरिकों के उत्प्रवास से सम्बंधित सभी मामलों के लिए मौजूदा विधायी ढांचे का निर्धारण उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के द्वारा किया जाता है।

2. पिछले साढ़े तीन दशकों से अधिक समय से प्रवास के स्वरुप, पैटर्न, दिशा एवं आयाम में बहुआयामी बदलाव आया है। विकसित देशों में जाने वाले हमारे कौशल प्राप्त व्यावसायियों, विदेशों में उच्च अध्ययन हेतु जाने वाले छात्रों का व्यापक पैमाने पर प्रवास तथा रोज़गार हेतु खाड़ी देशों में हमारे नागरिकों की बढ़ती मौजूदगी, कुछ मुख्य गतिविधियां हैं। वैश्विक स्तर पर प्रवास प्रबंधन के साथ- साथ प्रवास और विकास के पारस्परिक संबंध पर काफी समसामयिक स्तर पर विचार- विमर्श हो रहा है और इन मुद्दों को वैश्विक परिचर्चा में काफी प्रमुखता दी जा रही है। सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवास पर बल दिया जा रहा है। इस प्रकार एक सुदृढ़ विधायी ढांचे की आवश्यकता है जो समसामयिक वास्तविकताओं और संगत अंतर्राष्ट्रीय परिपाटियों के अनुरूप हो।

3. उत्प्रवास अधिनियम, 1983 का अधिनियमन खाड़ी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर भारतीय कामगारों के उत्प्रवास के विशेष सन्दर्भ में किया गया था। इस अधिनियम की समसामयिक प्रवास प्रवृत्तियों को संबोधित करने का दायरा कुछ मायनों में सीमित है। उत्प्रवास अधिनियम, 1983 की सीमाओं से कई बार मौजूदा संसाधनों के उप-इष्टतम उपयोग, अवैध एजेंटों पर मुकदमा चलाने में विलम्ब, विभिन्न कार्यक्रमों जैसे प्रस्थान-पूर्व अनुकूलन, कौशल उन्नयन तथा प्रवासी कामगारों के कल्याण एवं संरक्षण के उद्देश्य से किये गए अन्य उपायों के लिए प्रभावी रुपरेखा तैयार करने में विधायी प्रावधानों की कमी परिलक्षित होती हैं।

4. प्रवास का कारगर प्रबंधन करने एवं समग्रतावादी दृष्टिकोण से व्यापक पैमाने पर प्रवास सम्बन्धी मुद्दों का समाधान करने के उद्देश्य से एक संस्थागत, विधायी एवं समर्थवान ढांचा तैयार करने की नितांत आवश्यकता है।

(ii) प्रस्तावित विधान के आधारभूत बिंदु

i) संस्थागत ढांचा

उत्प्रवास प्रबंधन प्राधिकरण

5. इस विधेयक में उत्प्रवासियों के समग्र कल्याण और संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक उत्प्रवास प्रबंधन प्राधिकरण (ईएमए) का गठन करने का प्रस्ताव है। यह प्राधिकरण प्रवास प्रबंधन से जुड़े मामलों पर नीतिगत मार्गदर्शन करने, व्यापक समीक्षा करने एवं पर्यावलोकन करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्राधिकरण होगा। ईएमए की अध्यक्षता विदेश मंत्रालय के सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा की जाएगी। विदेश मंत्रालय प्रवास से सम्बंधित सभी मामलों के लिए नोडल मंत्रालय है तथा इसमें गृह एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय का प्रतिनिधित्व होगा। इसमें क्रमवार राज्यों एवं भर्ती एजेंसियों से भी प्रतिनिधित्व होगा। ईएमए की आवधिक रूप से बैठक होगी तथा इसे अन्य सदस्यों को आमंत्रित करने तथा अपनी जिम्मेदारियों के प्रभावी निर्वहन हेतु आवश्यकता आधार पर समितियां गठित करने के अधिकार होंगे।

प्रवास एवं आयोजन ब्यूरो तथा प्रवास प्रशासन ब्यूरो

6. इन ब्यूरों का नेतृत्व संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी करेंगे तथा वे प्रवास से जुड़े सभी मामलों एवं विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों के कल्याण एवं संरक्षण के लिए उत्तरदायी होंगे। प्रवास ब्यूरो प्रशासन के देश के विभिन्न भागों में कार्यालय होंगे।

राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों में नोडल प्राधिकरण

7. सम्बंधित राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों द्वारा नोडल प्राधिकरणों की स्थापना की जाएगी जिसकी अध्यक्षता प्रधान सचिव स्तर के अधिकारी करेंगे और इसमें गृह, एनआरआई एवं श्रम तथा कौशल विभागों का प्रतिनिधित्व होगा। नोडल प्राधिकरण केंद्र सरकार के अन्य सक्षम प्राधिकरणों के साथ मिलकर कार्य करेंगे ताकि सुरक्षित, व्यवस्थित एवं नियमित प्रवास सुनिश्चित किया जा सके तथा वापस लौटने वाले प्रवासियों से सम्बंधित विभिन्न पहलुओं का समाधान किया जा सके।

ii) पंजीकरण / सूचना

8. यह विधेयक प्रवासी रोज़गार हेतु जाने वाले सभी श्रेणियों के भारतीय कामगारों एवं विदेशों में उच्च अध्ययन करने वाले छात्रों के अनिवार्य पंजीकरण/सूचना का प्रावधान करता है। पंजीकरण/सूचना को प्रौद्योगिकी/डिजिटल प्लेटफार्म संचालित बनाये जाने का प्रस्ताव है ताकि प्रवास को एक द्रुत, कार्यक्षम एवं सुगम प्रक्रिया बनाया जा सके और जिससे हमारे कामगारों एवं विदेशों में उच्चतर अध्ययन हेतु जाने वाले छात्रों को किसी असुविधा का सामना ना करना पड़े। इस विधेयक में आवश्यक प्रावधानों को शामिल किया गया है जिससे कुछेक श्रेणियों को जरूरत पड़ने पर अनिवार्य पंजीकरण से बाहर रखा जा सकता है।

iii) भर्ती एजेंसियों एवं छात्र नामांकन एजेंसियों का पंजीकरण तथा श्रेणी निर्धारण

9. भर्ती एजेंसियों एवं छात्र नामांकन एजेंसियों का पंजीकरण अनिवार्य बना दिया गया है। भर्ती एजेंसियों के साथ कार्यरत उप एजेंटों को भी प्रस्तावित विधेयक के दायरे में लाया गया है। इस विधेयक में भर्ती एजेंटों एवं छात्र नामांकन एजेंसियों के रेटिंग हेतु प्रावधान को भी शामिल कर लिया गया है।

iv) भर्ती एजेंसियों के दायित्व एवं कार्य

10. भर्ती एजेंसियों के दायित्व एवं कार्य उत्प्रवासियों के व्यापक कल्याण एवं उनके सशक्तिकरण पर संकेंद्रित हैं। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ रोज़गार एवं यात्रा दस्तावेज़, बीमा नीति, दस्तावेज़ों का नवीकरण, कौशल उन्नयन तथा प्रस्थान-पूर्व दिशा-निर्देश कार्यक्रम शामिल हैं।

v) कल्याण एवं सुरक्षा

11. विधेयक में व्यापक प्रावधान किए गए हैं जिनमें बीमा, प्रस्थान-पूर्व दिशा-निर्देश, कौशल उन्नयन, क़ानूनी सहायता, प्रवासी सहायता केंद्र, हेल्प डेस्क, प्रवास एवं मोबिलिटी साझेदारियां, श्रमिक एवं मानवशक्ति सहयोग करार/समझौता ज्ञापन आदि शामिल हैं जिनका उद्देश्य विदेशों में भारतीय कामगारों का कल्याण एवं सुरक्षा को सुदृढ़ करना है।

vi) अपराध एवं दंड

12. प्रस्तावित विधेयक मानव तस्करी, अवैध भर्ती, इग्स की अवैध तस्करी, भर्ती की आड़ में अपराधियों को शरण देने या बिना उचित प्रक्रिया के उत्प्रवास सेवाओं की पेशकश करने जैसे अपराधों को अपने दायरे में निहित करता है। यह विधेयक इन गतिविधियों विशेषतः महिलाओं और बच्चों से

सम्बंधित उग्र रूप वाले अपराधों के लिए कड़ा दंड देने का प्रावधान करता है। विधेयक के अंतर्गत अपराधों को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत संज्ञान लिया जाएगा। निर्धारित किये गए दंड, किये गए अपराधों की गंभीरता के अनुरूप होंगे।

vii) नियम और विनियम

13. सभी सम्बंधित पक्षधारकों से परामर्श करके इस अधिनियम के अनुसरण में उचित नियम और विनियम बनाये जायेंगे।

(iii) वित्तीय विवक्षाएं

14. लागू नहीं

(iv) वर्तमान विधान के प्रभाव का आकलन

15. प्रस्तावित उत्प्रवास विधेयक, 2019 का उद्देश्य सम्पूर्ण प्रवास चक्र दृष्टिकोण और सूचित विकल्पों के माध्यम से हमारे कामगारों का सशक्तिकरण करने के आधार पर एक प्रगतिशील सक्षम विधायी ढांचा प्रदान करना है। यह प्रवास के सभी पहलुओं को पूरा करता है। इस विधेयक में एक मजबूत संस्थागत फ्रेमवर्क स्थापित करने की मंशा निहित है जो जिम्मेदार, आसानी से उपलब्ध, प्रौद्योगिकी संचालित हो और विदेशों में भारतीय नागरिकों का कल्याण और सुरक्षा सुदृढ़ करता हो। उल्लेखनीय योजनात्मक पहल जिनमें मदद, ई-माइग्रेट, भारतीय समुदाय कल्याण कोष, प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र, प्रवासी भारतीय बीमा योजना, प्रवासी कौशल विकास योजना, प्रस्थान-पूर्व दिशा-निर्देश कार्यक्रम शामिल हैं के माध्यम से सरकार ने पहले ही सुसंचालित संस्थागत समर्थन ढांचे की स्थापना कर दी है। यह एक सक्षम विधायी ढांचे के मूल का निर्माण करने में सहायक होगा, जिसकी परिकल्पना प्रस्तावित विधेयक के माध्यम से की गयी है और आने वाले दशकों में देश की सेवा करता रहेगा।

16. विदेशों में छात्रों और वहां पर कार्यरत भारतीय नागरिकों द्वारा अनिवार्य पंजीकरण/सूचना से सम्बंधित प्रावधानों का उद्देश्य संकट और आपातकालीन समय में उनकी सहायता करना और एक प्रभावी उत्प्रवास प्रबंधन ढांचे की स्थापना करना है। इस विधेयक का उद्देश्य एक विस्तृत ढांचे का निर्माण करने की बजाय मौजूदा संसाधनों और मानवशक्ति का इष्टतम उपयोग करना है।

****